राजस्व परिषद उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्याः–756 /रा0प0/2015 दिनांकः07 मई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 में प्राविधानित नियम–12(डी) के साथ शासनादेश संख्या–562/XXVII(7)/2010 दिनांक 24.05.2010 के द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड के कार्यालयाध्यक्ष के अधिकार निम्नलिखित सीमा तक आयुक्त एवं सचिव को प्रतिनिधायित किये जाते हैं :–

1– बजट की उपलब्धता एवं मानक के अधीन कार्यालयों के प्रयोग के लिए पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाओं एवं अन्य प्रकार का प्रकाशन का क्रय एक वर्ष में ₹15,000–00 की सीमा तक करने का अधिकार।

2– बजट की उपलब्धता एवं मानक के अधीन क्रय प्रक्रिया उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 के अनुसार, सामान्य व्यय के प्रत्येक मामलें में यथा, लेखन सामग्री, टेलीफोन के बिल पर व्यय, गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पैट्रोल आदि की खरीद, कम्प्यूटर स्टेशनरी के क्रय हेतु एक बार में ₹30,000–00 की सीमा तक।

3– वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1, पैरा–165 में दी हुई शर्तों के अधीन बिजली सम्बन्धी व्यय बिल का भुगतान स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार।

4– बजट उपलब्धता एवं मैनुअल ऑफ गर्वनमेंट ऑर्डर्स के परिशिष्ट–16 और वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 के परिशिष्ट–10 तथा उत्तराखण्ड के अधिप्राप्ति नियमावली–2008 में दी हुई शर्तों के अधीन कार्मिकों की वर्दी तथा गर्म कपड़ों की स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार।

5– छोटे निर्माण कार्य (पैटी वर्क्स) निष्पादन तथा सभी प्रकार की मरम्मतों के लिए आय–व्ययक प्राविधान के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में ₹1,00,000–00 तक टैण्डर/ठेके स्वीकृत करना, किन्तु शर्त यह है कि अनुमान विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कर दिये गये हैं।

6– बजट की उपलब्धता की सीमा में शासनादेश संख्या–1115/वि0अनु0–3/203 दिनांक 31.12.2003 के प्राविधानों के अनुसार अपने अधीनस्थ अराजपत्रित कर्मचारियों को एल0टी0सी0 हेतु अग्रिम स्वीकृत करने के सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार।

7– विद्युतीकरण कार्यो के ₹50,000–00 की सीमा तक आंगणनों की स्वीकृति प्रदान करना एवं अनुमोदित ठेकेदारों के माध्यम से कार्य कराना।

8– बजट की उपलब्धता एवं मानक के अधीन क्रय प्रक्रिया के आधार पर सामान्य कार्यालय व्यय ₹25,000–00 की सीमा तक स्वीकृत करना।

9– कार्यालय के लिये एक बार में ₹20,000–00 की सीमा तक लेखन–सामग्री व कागज का क्रय करना।

10— स्वयं अथवा अधीनस्थ सरकारी सेवकों को दौरा/स्थानान्तरण/उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण हेतु दौरा/अवकाश यात्रा सुविधा पर जाने हेतु यात्रा भत्ता अग्रिम वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–249 ए में दी गई सीमाओं एवं शर्तो के अधीन सम्भावित व्यय की जाने वाली धनराशि के 90 प्रतिशत तक स्वीकृत करना।

11— सामान्य भविष्यनिधि से लिये जाने वाले अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति का अधिकार।

12— कार्यालय कर्मियों को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति का अधिकार।

13— वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2 से 4 मे मूल नियम–65 के नियम–35 के अनुसार वित्त नियन्त्रक, स्टाफ आफीसर, प्र0उप राजस्व आयुक्त(भू0व्य0) तथा सहायक राजस्व आयुक्त(प्र0) को छोड़कर अन्य कार्यालय कर्मियों को एक बार में अधिकतम 30 दिन के उपार्जित अवकाश/चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति का अधिकार।

14— राजस्व परिषद् के अधीन सेवानिवृत्त कर्मियों एवं कार्यरत कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे तथा विभागीय आहरण वितरण अधिकारी को वचनबद्ध मदों में बजट आवंटन हेतु आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् के अधिकृत किया जाता है।

<u>दिनांक : 30.04.2015</u>

राकेश शर्मा
अध्यक्ष।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग, देहरादून।
3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
5— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6— वित्त नियंत्रक, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7— वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8— स्टाफ आफीसर/सहायक राजस्व आयुक्त(प्र0)/प्र0उप राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9— समस्त अनुभाग अधिकारी/समीक्षा अधिकारी, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10— कार्यालय प्रति।

(विजय कुमार ढौंडियाल)
आयुक्त एवं सचिव।